झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

(CIN:U40108JH2013SC001702)
अभियंत्रण भवन, एच.ई.सी., धुर्वा, राँची
E-mail : coml.rev@rediffmail.com,
Telephone : 0651 2400826

स्वतः विद्युत भार आकलन (Self Load Disclosure) हेतु

अपील

सूचित करना है कि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा स्वतः भार आकलन (Self Load Declaration) योजना दिनांक 28-05-2015 से चलाई जा रही है। उक्त योजना के तहत् सभी घरेलू, वाणिज्यिक एवं निम्न विभव औद्योगिक (Low Voltage Industrial - Installation based) विद्युत उपभोक्ताओं को अपने आवासों/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अधिष्ठापित विद्युत भार का आकलन स्वंय कर सहायक विद्युत अभियंता/कनीय विद्युत अभियंता के कार्यालय में 15 दिनों के अन्दर जमा करना है, ताकि नियमानुसार उनके परिसर की भार स्वीकृति की कार्रवाई की जा सके। विदित हो कि उक्त योजना एक माह तक रहेगी। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर का विद्युत भार सर्वेक्षण किया जायेगा और अगर सम्बद्ध भार (Connected Load) स्वीकृत भार (Sanctioned Load) से अधिक पाया जाता है, तो बढ़े लोड पर नियमानुसार विपत्र निर्गत कर दिया जायेगा।

स्वतः विद्युत भार आकलन हेतु उपभोक्ता प्रपत्र हमारे विभागीय वेब साइट www.jbvnl.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।

निगम द्वारा चलाये जा रहे विद्युत भार निरीक्षण अभियान में आपका सहयोग अपेक्षित है।

मुख्य अभियंता (वा0 एवं रा0)

A&M Communication